

३७०३३  
२६.५.२२

सेवा में,

श्रीमान प्रथम अपीलीय जनसूचना अधिकारी

ग्रेटर-नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जनपद— गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र०

विषय :—आर.टी.आई, पत्रांक 22553, दिनांकित 31.03.2022 के विरुद्ध अपील

श्रीमान जी,

अपीलार्थी निम्न अपील करता है कि :-

1. यह कि अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर-नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जनपद— गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र० से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएँ मांगी गई थीं जो निम्न प्रकार हैं।

अ. ग्रेटर-नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाली जल आपूर्ति व्यवस्था को 1 अप्रैल 2019 से आज तक किस कम्पनी द्वारा संचालित किया जा रहा है ?, सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये।

ग्रेटर—नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जल आपूर्ति व्यवस्था को संचालित करने वाली कम्पनी ने अपने सभी नलकूप चालकों / कर्मचारियों का विगत 3 वर्षों से वेतन, पी.एफ. और ई.एस.आई का समय से भुगतान कर रही है या नहीं ?

स. ग्रेटर—नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जल आपूर्ति व्यवस्था को संचालित करने वाले कम्पनी ने यदि विगत तीन वर्षों से नलकूप चालकों / कर्मचारियों का वेतन, पी.एफ. और ई.एस.आई. का समय से भुगतान नहीं किया तो ग्रेटर—नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही की गई अथवा नहीं ?, सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये।

द. ग्रेटर—नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जल आपूर्ति व्यवस्था को संचालित करने वाली कम्पनी द्वारा विगत तीन वर्षों में किये नलकूपों के मैन्टीनेन्स के खर्चों का ऑडिट हुआ है अथवा नहीं ?, सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये।

ग. ग्रेटर—नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जल आपूर्ति व्यवस्था को संचालित करने वाली वर्तमान कम्पनी के विरुद्ध यदि

10 w/c water  
27/5/22